झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 69 वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो:–

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

(1) यह अधिनियम झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

(2) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा–9 का संशोधन :–

अधिनियम की धारा–9 के प्रथम परन्तुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"परन्तु स्टॉक की जाँच या लेखा तैयार करने या अन्य प्रयोजन, जो विहित हो, की अवधि के दौरान बच्चा/बच्ची या किशोर/किशोरी को छोड़कर किसी व्यक्ति को इस धारा में निर्धारित घंटों से अधिक किसी अवधि के लिए वैसे प्रतिष्ठान में काम की स्वीकृति दी जा सकती है या अपेक्षा की जा सकती है, बशर्त्ते की वैसे व्यक्ति को धारा–21 में निर्धारित अधिसमय मजदूरी दी जाय, लेकिन अधिसमय कार्य की अवधि का जोड़ किसी भी माह में 50 घंटे से अधिक नहीं होगा।"

यह विधेयक झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष

झा०रा०मु०, राँची (एल०ए०) 90--50--8-1-2019 ।